बीकानेर नगर निगम

Nagar Nigam Road, Bikaner (Raj.) Fax :– 0151:-2226906, Phone :–0151–2226902,0151–2226905
E-Mail Address:- bikanernagarnigam@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / सामा / बोर्ड बैठक / 2015 / 37739–52 | 14 अक्टुबर, 2015

कार्यालय आदेश

स्वायत शासन विभाग, राज. जयपुर के आदेश क्रमांकः प.9(ग)( )समिति गठन / डीएलबी / 2015 / 497 दिनांक 16.09.2015 के द्वारा बीकानेर नगर निगम में निम्न समितियों का गठन किया गया हैं।

1. कार्यकारी समिति :–

क्र.सं.	नाम पार्षद	वार्ड संख्या	समिति में पद
1.	श्री नारायण चौपडा, महापौर	24	अध्यक्ष
2.	श्री अशोक आचार्य, उपमहापौर	18	सदस्य
3.	नेता प्रतिपक्ष		सदस्य
4.	श्री शिव कुमार रंगा (सम्राट)	15	सदस्य
5.	श्रीमती सरला देवी पडीहार	19	सदस्य
6.	श्री राजेन्द्र शर्मा	60	सदस्य
7.	श्रीमती नानू देवी	25	सदस्य
8.	श्री विनोद धवल	40	सदस्य
9.	श्री प्रेमरतन जोशी	12	सदस्य
10.	श्री दिनेश कुमार उपाध्याय	14	सदस्य
11.	श्री राजेन्द्र शर्मा (राजा)	17	सदस्य
12.	श्रीमती कृष्णाकंवर शेखावत	50	सदस्य
13.	श्रीमती भावना गहलोत	51	सदस्य
14.	श्री श्यामसुन्दर चाण्डक	04	सदस्य
15.	श्री मोहम्मद ताहिर	34	सदस्य
16.	श्रीमती पूजा भटनागर	42	सदस्य
17.	श्री भगवती प्रसाद गौड़	39	सदस्य
18.	श्रीमती नीलम जांगीड	45	सदस्य
19.	श्री रामचंद्र सोनी	32	सदस्य
20.	श्री जामन लाल	36	सदस्य
21.	श्रीमती मंजू गोयल	29	सदस्य
22.	श्रीमती भवानी पारीक	09	सदस्य
23.	श्रीमती कृष्णा देवी	43	सदस्य
24.	श्री अभयराज शर्मा	30	सदस्य

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं स्वायत शासन विभाग के पत्र संख्या / प.9(ग)( )स.ग. / डीएलबी / 15 / 537 दिनांक 29.09.2015 में उल्लेखित

(अ) शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन।

क्र. स.	धारा	संक्षिप्त विवरण	प्रभारी अधिकारी	संबंधित अनुभाग
1.	71	कतिपय भूमियों का आबंटन, नियमन आदि	सहायक नगर नियोजक	भूमि विक्रय (मुख्यालय एवं दक्षिण)
2.	73	सम्पत्ति के अन्तरण और संविदाओं के संबंध में उपबन्ध		
3.	74	स्थावर नगरपालिक सम्पत्ति की तालिका और मानचित्र		
4.	106	विकास प्रभार उद्‌गृहीत करने की शक्ति		
5.	118	अन्तरिती के नाम का नगरपालिक रजिस्टरों में प्रतिस्थापन किया जाना		
6.	152	वाणिज्यिक परियोजनाएं और उनसे प्राप्तियां		
7.	153	नगरपालिका या किसी अन्य अभिकरण द्वारा परियोजना का जिम्मा लेना		

क्र. स.	धारा	संक्षिप्त विवरण	प्रभारी अधिकारी	संबंधित अनुभाग
8.	154	निजी क्षेत्र सहभागिता करारों के प्रकार	सहायक नगर नियोजक	भूमि विक्रय, निर्माण एवं विकास
9.	155	नगरपालिका या अन्य अभिकरणों को समनुदेशित कृत्य		
10.	173	परियोजनाओं और स्कीमों का बनाया जाना और विषयवस्तु		
11.	174	परियोजनाओं और स्कीमों की तैयारी		
12.	175	पुनर्विकास स्कीम		
13.	176	परियोजना और स्कीम को अनुमोदन के लिये नगरपालिका को प्रस्तुत करना		
14.	198	सुख–सुविधाओं के रख–रखाव का उत्तरदायित्व लेना		
15.	199	अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों का सौंपा या ग्रहण किया जाना		
16.	240	मार्गो के नाम रखना और मकानों का संख्याकन	सचिव	सामान्य अनुभाग
17.	241	मूर्तियो की स्थापना		
18.	274	राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अति भीड़ वाले क्षेत्रों के संबंध में विशेष शक्तियां, जो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जा सकेगी	सहायक नगर नियोजक	न्यूसेंस
19.	285	व्यष्टि नोटिस की अवज्ञा	ALL OIC	ALL SECTION
20.	334	कर्मचारिवृन्द की संख्या का अवधारण	मुख्य लेखाधिकारी	स्थापना अनुभाग
21.	335	अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय स्थापन तथा अन्य कर्मचारीगण		

(ब) कर्मचारियों की नियुक्ति व कर्मचारियो के विरूद्ध अनुशासनत्मक कार्यवाही संबंधी समस्त अधिकारों का निर्वहन करेगी।

कार्यकारी समिति के पदेन सचिव नगर निगम के आयुक्त होगें।

इस समिति से संबंधित समस्त कार्य/पत्राचार पत्रावली संधारण आदि का कार्य सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा निष्पादित किया जायेगा। इस हेतु सामान्य प्रशासन अनुभाग के प्रभारी अधिकारी तथा कार्यालय अधीक्षक एवं विधि अनुभाग के प्रभारी अधिकारी उत्तरदायी होगें। इसी अनुभाग में सेवारत डिलिंग क्लर्क एवं बोर्ड बैठक लिपिक कार्यालय अधीक्षक के निर्देशानुसार कार्यकारी समिति का कार्य करेगें। बैठक के दौरान कार्यवाही विवरण का लेखन संबंधित अनुभागों के प्रभारियों द्वारा किया जाकर बैठक उपरान्त सामान्य प्रशासन अनुभाग को कार्यवाही विवरण जारी करने के लिये उपलब्ध करवाया जायेगा।

2. वित्त समिति :–

क्र.सं.	नाम पार्षद	वार्ड संख्या	समिति में पद
1.	श्री शिवकुमार रंगा (सम्राट)	15	अध्यक्ष
2.	श्री अखिलेश प्रताप सिंह	38	सदस्य
3.	श्रीमती मंजू गोयल	29	सदस्य
4.	श्री रामचंद्र सोनी	32	सदस्य
5.	श्री गिरिराज जोशी	28	सदस्य
6.	सुश्री पूजा इणखिया	59	सदस्य
7.	श्रीमती भंवर कंवर	57	सदस्य
8.	श्री दुलीचन्द शर्मा	16	सदस्य
9.	श्री श्याम सुन्दर चाण्डक	04	सदस्य
10.	श्री हारून राठौड	13	सदस्य

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं स्वायत शासन विभाग के पत्र संख्या/प.9(ग)( )स.ग. /डीएलबी/15/537 दिनांक 29.09.2015 में उल्लेखित

(अ) यह समिति निम्न धाराओं मे वर्णित शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन एवं कृत्यों का निर्वहन करेगी–

क्र.स.	धारा	संक्षिप्त विवरण	प्रभारी अधिकारी	संबंधित अनुभाग
1.	80	नगरपालिक निधि का उपयोग	मुख्य लेखाधिकारी	लेखा
2.	81	नगरपालिक निधि में से तब तक संदाय नही किया जाना, जब तक कि वह बजट अनुदान में समाविष्ट नही हो		
3.	82	लोक हित में तत्काल अपेक्षित संकर्मो के लिये नगरपालिक निधि में से अस्थायी संदाय		
4.	83	नगरपालिका की सीमाओ के बाहर व्यय उपगत करने की शक्ति		
5.	84	विशिष्ट प्रयोजन के लिये नगरपालिक निधि का अनन्य उपयोग		
6.	85	लेखाओं का प्रचालन		
7.	86	अधिशेष धन का विनिधान		
8.	87	नगरपालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना		
9.	88	नगरपालिका के बजट प्राक्कलन की मंजूरी		
10.	89	बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति		
11.	90	लेखाओं का संधारण		
12.	91	नगरपालिक लेखा निर्देशिका का तैयार किया जाना		
13.	92	वित्तिय विवरण और तुलनपत्र		
14.	93	वित्तिय विवरण और तुलनपत्र का लेखा संपरीक्षक को प्रस्तुत किया जाना		
15.	94	लेखाओं की संपरीक्षा		
16.	95	नगरपालिका के समक्ष संपरीक्षित लेखाओं का रखा जाना		
17.	96	संपरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करना		
18.	98	विशेष संपरीक्षा		
19.	99	आंतरिक संपरीक्षा		
20.	100	वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट		
21.	101	नगरपालिका का आंतरिक राजस्व		
22.	104	उपयोक्ता प्रभार उद्‌गृहीत करने की शक्ति		
23.	105	फीसें और जुर्माने उद्‌गृहीत करने की शक्ति		
24.	108	कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया		
25.	148	निक्षेप निधि में जमा रकम का विनिधान		
26.	150	वार्षिक विवरण		
27.	296	खर्चे या व्यय कैसे अवधारित और वसूल किये जायें		

(ब) निगम को प्रस्तुत करने के लिए बजट तैयार करना व बजट मे रद्दो–बदल करना, पुनर्नियोजन करना एवं बजट संबंधित मामलो के प्रस्तावों को तैयार करना व निगम बोर्ड को प्रस्तुत करना।

(स) कर संबंधी समस्त मामलों व उनकी अपीलो का अधिकार।

(द) कर की वसूली के संबंध में अन्य कोई भी कार्य व अधिकारों का उपयोग करना।

वित्त समिति के पदेन सचिव नगर निगम के मुख्य लेखाधिकारी होगें।

इस समिति से संबंधित समस्त कार्य/पत्राचार पत्रावली संधारण आदि का कार्य लेखा अनुभाग द्वारा निष्पादित किया जायेगा। इस हेतु लेखा अनुभाग के प्रभारी लेखाकार उत्तरदायी होगें। इसी अनुभाग में सेवारत डिलिंग क्लर्क लेखाकार के निर्देशानुसार वित्त समिति का कार्य करेगें। बैठक के दौरान कार्यवाही विवरण का लेखन प्रभारी लेखाकार द्वारा किया जाकर कार्यवाही विवरण जारी किया जायेगा।

3. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति (अ पश्चिम) प्रथम :–

क्र.सं.	नाम पार्षद	वार्ड संख्या	समिति में पद
1.	श्री राजेन्द्र शर्मा	60	अध्यक्ष
2.	श्रीमती सरला देवी पडिहार	19	सदस्य
3.	श्री लक्ष्मी नारायण	02	सदस्य
4.	श्री शिव चंद पडिहार	21	सदस्य
5.	श्री अजय सिंह राजपुरोहित	05	सदस्य
6.	श्रीमती शांति चौधरी	06	सदस्य
7.	श्री रामचंद्र सोनी	32	सदस्य
8.	श्री नरेश जोशी	07	सदस्य
9.	श्री अभयराज शर्मा	30	सदस्य
10.	श्री मोहम्मद अख्तर कलीम	11	सदस्य

4. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति (ब पूर्व) द्वितीय :–

क्र.सं.	नाम पार्षद	वार्ड संख्या	समिति में पद
1.	श्रीमती नानू देवी	25	अध्यक्ष
2.	श्रीमती खुर्शीदा बानो	53	सदस्य
3.	श्री राजेन्द्र पंवार	35	सदस्य
4.	सुश्री दिव्या राजपुरोहित	44	सदस्य
5.	श्री जामन लाल	36	सदस्य
6.	श्रीमती कृष्णा देवी	43	सदस्य
7.	श्रीमती भावना गहलोत	51	सदस्य
8.	श्री सोहन लाल	58	सदस्य
9.	सुश्री पूजा इणखिया	59	सदस्य
10.	श्री यशपाल सिंह	46	सदस्य

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं स्वायत शासन विभाग के पत्र संख्या/प.9(ग)( )स.ग./डीएलबी/15/537 दिनांक 29.09.2015 में उल्लेखित

(अ) यह समिति विधान सभा क्षेत्र में निम्न धाराओं मे वर्णित शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन एवं कृत्यों का निर्वहन करेगी–

क्र.स.	धारा	संक्षिप्त विवरण	प्रभारी अधिकारी	संबंधित अनुभाग
1.	200	नालियों आदि पर नगरपालिका का नियंत्रण	स्वास्थ्य अधिकारी	स्वास्थ्य, स्वच्छ भारत मिशन,
2.	201	नालियां आदि बनाने की शक्तियां		
3.	204	मल और वर्षा जल की नालियों का पृथक–पृथक होना		
4.	205	अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार – नगरपालिका द्वारा कैसे और किन शर्तों पर प्राधिकृत किया जायेगा।		
5.	206	संकर्म किस प्रकार किया जाना है		
6.	207	जिस भूमि पर से नाली ले जायी जाये उस पर पश्चात्वर्ती भवन निर्माण के संबंध में उसके स्वामी का अधिकार		
7.	208	शौचालयों आदि की व्यवस्था		
8.	209	कारखानों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों मे तहारत और मूत्रालय का निर्माण		
9.	210	शौचालयों आदि मे परिवर्तन करने, उनकी मरम्मत करने और उनको ठीक दशा में रखने का खर्चा		
10.	211	विद्यमान प्राइवेट नालियों को बन्द करने की शक्ति		
11.	214	नालियों आदि का निरीक्षण		

क्र.स.	धारा	संक्षिप्त विवरण	प्रभारी अधिकारी	संबंधित अनुभाग
12.	215	कतिपय संकर्मों को स्वामी से कराने के बजाय स्वयं निष्पादित करने की नगरपालिका की शक्ति	स्वास्थ्य अधिकारी	स्वास्थ्य, स्वच्छ भारत मिशन,
13.	216	जल–प्रणाल आदि ले जाने की शक्ति		
14.	217	व्यवसायिक बहिःस्त्राव के संबंध में विशिष्ट उपबंध		
15.	218	व्यवसायिक बहिःस्त्राव के जलनिकास से संबंधित विशेष उपबंध		
16.	221	परिसर के स्वामी की अन्य व्यक्तियों की भूमि मे होकर पाइप लगाने और नाली रखने की शक्ति		
17.	222	दायी व्यक्ति को नोटिस देने के पश्चात् मुख्य नगरपालिक अधिकारी की कार्य निष्पादित करने की शक्ति		
18.	226	ठोस अपशिष्ट प्रबंध और उनके हस्तन के संबंध मं नगरपालिका का कर्तव्य		
19.	227	ठोस अपशिष्टों का प्रबंध और हस्तन और बिल बनाने और प्रभारों के संग्रहण का सौंपा जाना		
20.	228	ठोस अपशिष्टों का नगरपालिका की संपत्ति होना		
21.	229	ठोस अपशिष्टों के व्ययन और अंतिम व्ययन के लिए स्थान नियत करना		
22.	230	परिसरों के स्वामियों और अधिभोगियों का ठोस अपशिष्टों के उत्पन्न होने के स्त्रोत पर ही भंडारण करने का कर्तव्य		
23.	231	सहकारी आवासन सोसाइटी, अपार्टमेन्ट स्वामी संगम आदि का कर्तव्य		
24.	232	प्रतिषेध		
25.	233	मार्गों को गंदा करने और कोई ठोस अपशिष्ट जमा करने या फेंकने के लिए दण्ड		
26.	234	जीव–चिकित्सा अपशिष्ट		
27.	235	परिसंकटमय अपशिष्ट		
28.	242	झाडियों, वृक्षों आदि का हटाया जाना और उनकी काट–छांट		
29.	247	परिसरों का अनुज्ञाप्ति के बिना पशु रखने, या मुर्गी पालन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाना		
30.	248	कतिपय पशुओं या पक्षियों का अभिग्रहण		
31.	249	संक्रमित कुत्तों या पशुओं पर कार्रवाई करने की शक्ति		
32.	250	परिसरों के भीतर पशुओं से न्युसेंस रोकने की शक्ति		
33.	251	डेयरियों को अनुज्ञाप्ति देना		

(ब) स्वच्छता संबंधी सभी वर्णित शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन एवं कृत्यों का निर्वहन करेगी–

क्र.स.	धारा	संक्षिप्त विवरण	प्रभारी अधिकारी	संबंधित अनुभाग
1.	292	अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रवेश	ALL OIC	ALL SECTION
2.	293	निवारक निरीक्षण		
3.	294	प्रवेश करने की शक्ति		

(स) जन स्वास्थ्य व स्वच्छता संबंधी समस्त अधिकार एवं न्युसेंस हटाने तथा तद्नुसार अभियोजन पेश करने संबंधी समस्त अधिकारों का निर्वहन करेगी।

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के पदेन सचिव नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी होगें।

इस समिति से संबंधित समस्त कार्य/पत्राचार पत्रावली संधारण आदि का कार्य स्वास्थ्य अनुभाग द्वारा निष्पादित किया जायेगा। इस हेतु स्वास्थ्य अनुभाग के प्रभारी उत्तरदायी होगें। इसी अनुभाग में सेवारत डिलिंग क्लर्क प्रभारी के निर्देशानुसार स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का कार्य करेगें। बैठक के दौरान कार्यवाही विवरण का लेखन प्रभारी द्वारा किया जाकर कार्यवाही विवरण जारी किया जायेगा।

5. भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति :–

क्र.सं.	नाम पार्षद	वार्ड संख्या	समिति में पद
1.	श्री नारायण चौपडा	24	अध्यक्ष
2.	श्री शिवकमार रंगा (सम्राट)	15	सदस्य
3.	श्री रामचंद्र सोनी	32	सदस्य
4.	श्रीमती पूजा भटनागर	42	सदस्य
5.	श्रीमती भवानी पारीक	09	सदस्य
6.	श्री दिनेश कुमार उपाध्याय	14	सदस्य
7.	सुश्री पूजा इणखिया	59	सदस्य
8.	श्रीमती नानू देवी	25	सदस्य
9.	श्री जामन लाल	36	सदस्य
10.	श्रीमती नीलम जांगिड	45	सदस्य

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं स्वायत शासन विभाग के पत्र संख्या/प.9(ग)( )स.ग./डीएलबी/15/537 दिनांक 29.09.2015 में उल्लेखित

(अ) यह समिति निम्न धाराओं मे वर्णित शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन एवं कृत्यों का निर्वहन करेगी–

क्र. स.	धारा	संक्षिप्त विवरण	प्रभारी अधिकारी	संबंधित अनुभाग
1.	75	नगरीय भूमि और सम्पतियों के अभिलेखों का संधारण	अधिशाषी अभियंता, सहायक नगर नियोजक	निर्माण एवं विकास, भवन निर्माण स्वीकृति अनुभाग
2.	167	अप्राधिकृत विकास या योजना से असंगत उपयोग के लिये शास्ति		
3.	168	अप्राधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति		
4.	169	अप्राधिकृत विकास को रोकने की शक्ति		
5.	170	अप्राधिकृत अस्थायी विकास का संक्षिप्ततः हटाया जाना या रोकना		
6.	171	भूखण्ड के उपविभाजन या निजी मार्ग बनाने के लिये मंजूरी		
7.	172	उपगत व्यय की वसूली		
8.	177	किसी स्कीम की घोषणा के पश्चात् भूमि का उपयोग और विकास पर निर्बंधन		
9.	178	स्कीम का व्यपगत होना		
10.	179	परियोजना या स्कीम को उपातरण या प्रत्याहरण		
11.	180	नगर पालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति		
12.	181	किसी भी परियोजना या स्कीम की व्यावृति		
13.	182	भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बन्धन और भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति		
14.	183	सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाईन		
15.	184	भूमिगत उपयोगिताओं के लिये मार्ग का अधिकारी		
16.	185	भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शे		
17.	186	केन्द्रीय या राज्य सरकार से संबंधित मार्गो के विषय में विशेष उपबन्ध		
18.	187	उत्सवों के दौरान मार्गो पर अस्थायी परिनिर्माण		
19.	188	मार्ग, नाली या परिसर के संनिर्माण या मरम्मत के दौरान पूर्वावधानियां		
20.	189	बिना अनुज्ञा किसी मार्ग में न तो काष्ठ जमा किया जायेगा और न गड्ढे खोदे जायेगें		
21.	190	फुटपाथ्रे का अनिवार्य उपबंध		
22.	191	मार्गो के कोने पर भवन		
23.	192	बहिर्गत भवनों को पीछे करना		
24.	193	भवनों की सतह		
25.	194	समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबन्ध		
26.	195	निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेन्ट काम्पलेक्सो का रख–रखाव		
27.	196	अनुज्ञा और संनिर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना		
28.	197	मरम्मत इत्यादि के दौरान होर्डिंग लगाना		

29.	219	जल प्रणालों या नगरपालिका की नालियों पर बिना अनुज्ञा के भवन, रेलवे और प्राइवेट मार्गो का परिनिर्माण या संनिर्माण नही किया जाना	अधिशाषी अभियंता, सहायक नगर नियोजक	निर्माण एवं विकास, भवन निर्माण स्वीकृति अनुभाग
30.	220	कतिपय मामलों में रेल प्रशासन को सूचित करना		
31.	236	कतिपय बहिर्गत भागों के लिये अनुज्ञा आवश्यक है		
32.	237	वर्षा जल के लिये द्रोणी और पाइप		
33.	238	वर्षा जल संग्रहण संरचना का उपबंध		
34.	239	मकानों पर ब्रकेट इत्यादि लगाना		
35.	243	खतरनाक भवन		
36.	246	खतरनाक खुदाई		
37.	252	कतिपय प्रकार के यातायात के लिये सार्वजनिक मार्गो के उपयोग को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति		
38.	253	सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किग का विनियमन		
39.	286	सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञ		
40.	287	स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम करने पर नगर पालिका किसी कार्य को निष्पादित कर सकेगी और उसका व्यय वसूल कर सकेगी		
41.	288	स्वामी द्वारा व्यतिक्रम किये जाने पर अधिभागी संकर्म निष्पादित कर सकेगा और किराये में से व्यय काट सकेगा		
42.	289	कार्यवाहियां, यदि कोई अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है		
43.	290	नगरपालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने के लिये शास्ति		

(ब) भवन निर्माण इजाजत एवं अन्य स्वीकृतियां जारी करने बाबत् धारा 292, 293 से 294 के अधिकारों का निर्वहन करेगी।

क्र. स.	धारा	संक्षिप्त विवरण	प्रभारी अधिकारी	संबंधित अनुभाग
1.	292	अधिनियम के प्रयोजनों के लिये प्रवेश	ALL OIC	ALL SECTION
2.	293	निवारक निरीक्षण		
3.	294	प्रवेश करने की शक्ति		

भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति के पदेन सचिव नगर निगम के अधीशाषी अभियंता होगें एवं सहायक नगर नियोजक इस समिति के अतिरिक्त पदेन सचिव होगें।

इस समिति से संबंधित समस्त कार्य/पत्राचार पत्रावली संधारण आदि का कार्य निर्माण अनुभाग एवं भवन निर्माण अनुमति शाखा द्वारा निष्पादित किया जायेगा। इस हेतु निर्माण अनुभाग के प्रभारी उत्तरदायी होगें। इसी अनुभाग में सेवारत डिलिंग क्लर्क प्रभारी के निर्देशानुसार भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति का कार्य करेगें। बैठक के दौरान कार्यवाही विवरण का लेखन संबंधित अनुभागों के प्रभारियों द्वारा किया जाकर बैठक उपरान्त निर्माण अनुभाग को कार्यवाही विवरण जारी करने के लिये उपलब्ध करवाया जायेगा।

6. गंदी बस्ती सुधार समिति :–

क्र.सं.	नाम पार्षद	वार्ड संख्या	समिति में पद
1.	श्री विनोद धवल	40	अध्यक्ष
2.	श्री सोहनलाल	58	सदस्य
3.	श्री लक्ष्मी नारायण	02	सदस्य
4.	श्रीमती शांति चौधरी	06	सदस्य
5.	श्री नरेश जोशी	07	सदस्य
6.	श्री शिव चंद पड़िहार	21	सदस्य
7.	श्री अखिलेश प्रताप सिंह	38	सदस्य
8.	श्री गिरिराज जोशी	28	सदस्य
9.	श्री शिवकुमार रंगा	20	सदस्य
10.	श्रीमती सूरज देवी	33	सदस्य

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं स्वायत शासन विभाग के पत्र संख्या/प.9(ग)( )स.ग. /डीएलबी/15/537 दिनांक 29.09.2015 में उल्लेखित

कच्ची बस्ती वा गन्दी बस्ती के पुर्नवास एवं विकास के संबंध में योजनाएं बनाना तथा इन बस्तियों के विकास कार्य हेतु बजट व्यय की अनुशंषा करना।

गंदी बस्ती सुधार समिति के पदेन सचिव नगर निगम के अधिशाषी अभियंता होगें।

इस समिति से संबंधित समस्त कार्य/पत्राचार पत्रावली संधारण आदि का कार्य निर्माण अनुभाग द्वारा निष्पादित किया जायेगा। इस हेतु निर्माण अनुभाग के प्रभारी उत्तरदायी होगें। इसी अनुभाग में सेवारत डिलिंग क्लर्क प्रभारी के निर्देशानुसार गंदी बस्ती सुधार समिति का कार्य करेगें। बैठक के दौरान कार्यवाही विवरण का लेखन संबंधित अनुभागों के प्रभारियों द्वारा किया जाकर बैठक उपरान्त निर्माण अनुभाग को कार्यवाही विवरण जारी करने के लिये उपलब्ध करवाया जायेगा।

7. नियम व उपविधि समिति :–

क्र.सं.	नाम पार्षद	वार्ड संख्या	समिति में पद
1.	श्री प्रेमरतन जोशी	12	अध्यक्ष
2.	श्रीमती डिम्पल व्यास	08	सदस्य
3.	श्री दुलीचन्द शर्मा	16	सदस्य
4.	श्रीमती विमला देवी	55	सदस्य
5.	श्रीमती खुर्शीदा बानो	53	सदस्य
6.	श्रीमती कृष्णाकंवर शेखावत	50	सदस्य
7.	श्री अजय सिंह राजपुरोहित	05	सदस्य
8.	श्री दुलीचन्द शर्मा	16	सदस्य
9.	श्री दिनेश कुमार उपाध्याय	14	सदस्य
10.	श्री मोहम्मद शमीउल्ला	48	सदस्य

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं स्वायत शासन विभाग के पत्र संख्या/प.9(ग)( )स.ग. /डीएलबी/15/537 दिनांक 29.09.2015 में उल्लेखित

(अ) यह समिति निम्न धाराओं में वर्णित शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों का पालन एवं कृत्यों का निर्वहन करेगी–

क्र.स.	धारा	संक्षिप्त विवरण	प्रभारी अधिकारी	संबंधित अनुभाग
1.	303	वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया	उपविधि परामर्शी	विधि
2.	339	नगरपालिका की नियम बनाने की शक्ति		
3.	341	नियमों और उप–विधियों का मुद्रित और विक्रय किया जाना		

(ब) कार्यालयों से संबंधित सभी मुकदमों एवं अन्य वाद्करण तथा नियमों एवं उपनियमों के प्रारूप तैयार करना।

नियम व उपविधि समिति के पदेन सचिव नगर निगम के उपविधि परामर्शी होगें।

इस समिति से संबंधित समस्त कार्य/पत्राचार पत्रावली संधारण आदि का कार्य विधि अनुभाग द्वारा निष्पादित किया जायेगा। इस हेतु विधि अनुभाग के प्रभारी उत्तरदायी होगें। इसी अनुभाग में सेवारत डिलिंग क्लर्क प्रभारी के निर्देशानुसार नियम व उपविधि समिति का कार्य करेगें। बैठक के दौरान कार्यवाही विवरण का लेखन प्रभारी द्वारा किया जाकर कार्यवाही विवरण जारी किया जायेगा।

8. अपराधों का शमन और समझौता समिति :–

क्र.सं.	नाम पार्षद	वार्ड संख्या	समिति में पद
1.	श्री दिनेश कुमार उपाध्याय	14	अध्यक्ष
2.	श्री शिवकुमार रंगा (सम्राट)	15	सदस्य
3.	श्रीमती कृष्णा देवी	43	सदस्य
4.	श्रीमती पूजा भटनागर	42	सदस्य
5.	श्री अभयराज शर्मा	30	सदस्य
6.	श्रीमती नीलम जांगीड	45	सदस्य

क्र.सं.	नाम पार्षद	वार्ड संख्या	समिति में पद
7.	सुश्री दिव्या राजपुरोहित	44	सदस्य
8.	श्री राजेन्द्र शर्मा (राजा)	17	सदस्य
9.	श्रीमती मंजू गोयल	29	सदस्य
10.	श्री जामन लाल	36	सदस्य

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं स्वायत शासन विभाग के पत्र संख्या/प.9(ग)( )स.ग./डीएलबी/15/537 दिनांक 29.09.2015 में उल्लेखित

(अ) यह समिति निम्न धाराओं में वर्णित शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों का पालन एवं कृत्यों का निर्वहन करेगी–

क्र.स.	धारा	संक्षिप्त विवरण	प्रभारी अधिकारी	संबंधित अनुभाग
1.	299	अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियां	उपविधि परामर्शी	विधि
2.	306	समझौता करने की शक्ति		

अपराधों का शमन व समझौता समिति के पदेन सचिव नगर निगम के उपविधि परामर्शी होगें।

इस समिति से संबंधित समस्त कार्य/पत्राचार पत्रावली संधारण आदि का कार्य विधि अनुभाग द्वारा निष्पादित किया जायेगा। इस हेतु विधि अनुभाग के प्रभारी उत्तरदायी होगें। इसी अनुभाग में सेवारत डिलिंग क्लर्क प्रभारी के निर्देशानुसार अपराधों का शमन व समझौता समिति का कार्य करेगें। बैठक के दौरान कार्यवाही विवरण का लेखन प्रभारी द्वारा किया जाकर कार्यवाही विवरण जारी किया जायेगा।

9. मार्केट, लाईसेस एवं राजस्व समिति :–

क्र.सं.	नाम पार्षद	वार्ड संख्या	समिति में पद
1.	श्रीमती सरला देवी पड़िहार	19	अध्यक्ष
2.	श्री अजय सिंह राजपुरोहित	05	सदस्य
3.	श्रीमती भंवर कंवर राठौड	57	सदस्य
4.	श्री जगदीश प्रसाद मोदी	52	सदस्य
5.	श्रीमती कृष्णा देवी	43	सदस्य
6.	श्रीमती शांति चौधरी	06	सदस्य
7.	श्री लक्ष्मी नारायण	02	सदस्य
8.	श्री विनोद धवल	40	सदस्य
9.	श्री प्रेमरतन जोशी	12	सदस्य
10.	श्रीमती वहीदा खातून	10	सदस्य

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं स्वायत शासन विभाग के पत्र संख्या/प.9(ग)( )स.ग./डीएलबी/15/537 दिनांक 29.09.2015 में उल्लेखित

(अ) यह समिति निम्न धाराओं में वर्णित शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों का पालन एवं कृत्यों का निर्वहन करेगी–

क्र.स.	धारा	संक्षिप्त विवरण	प्रभारी अधिकारी	संबंधित अनुभाग
1.	103	अन्य कर जो अधिरोपित किये जा सकेगें	राजस्व अधिकारी प्रथम, राजस्व अधिकारी अन्य राजस्व अनुभाग एवं नगरीय विकास कर अनुभाग	अन्य राजस्व, नगरीय विकास कर
2.	108	कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया		
3.	109	कर का अधिरोपण आदि		
4.	110	करों मे परिवर्तन करने के लिए प्रक्रिया		
5.	112	कर को स्थगित या समाप्त करने की नगर पालिका की शक्ति		
6.	116	भवनों या भूमियों पर करों के संदाय के लिए मुलतः दायी व्यक्तियों द्वारा हक के समस्त अन्तरणों के विषय में नगरपालिका को सूचना देना		
7.	117	सूचना का प्ररूप		
8.	118	अन्तरिती के नाम का नगरपालिक रजिस्टारों में प्रतिस्थापन किया जाना		

क्र.स.	धारा	संक्षिप्त विवरण	प्रभारी अधिकारी	संबंधित अनुभाग
9.	119	अन्तरण की सूचना के अभाव में भवनों या भूमियों पर करों के संदाय के दायित्व का बना रहना	राजस्व अधिकारी प्रथम, राजस्व अधिकारी अन्य राजस्व अनुभाग एवं नगरीय विकास कर अनुभाग	अन्य राजस्व, नगरीय विकास कर
10.	120	कर मूलतः किससे उद्ग्रहणीय है		
11.	269	बाजारों, वधशालाओं और कतिपय कारोबार के लिए अनुज्ञाप्ति देना		
12.	270	बाजारों और वधशालाओं का खोला जाना, बन्द किया जाना तथा किराये पर दिया जाना		
13.	278	शमशान भूमियों पर ईंधन की दुकानों के लिए अनुज्ञाप्ति देने का शक्ति		
14.	282	कतिपय व्यवसायों का विनियमन		
15.	283	मजदूरों को बुलाने या उनकी छुटटी करने के लिए सायरन का उपयोग		
16.	286	सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञ		
17.	287	स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम करने पर नगरपालिका किसी कार्य को निष्पादित कर सकेगी और उसका व्यय वसूल कर सकेगी		
18.	288	स्वामी द्वारा व्यतिक्रम किये जाने पर अधिभोगी संकर्म निष्पादित कर सकेगा और किराये में से व्यय काट सकेगा		
19.	291	अधिनियम, नियमों और उप–विधियों के भंग के लिए शास्ति, जो अन्यथा उपबन्धित नहीं है		

उपरोक्त समिति के पदेन सचिव राजस्व अधिकारी प्रथम/द्वितीय (अन्य राजस्व अनुभाग) होगें एवं स्वास्थ्य अधिकारी इस समिति के अतिरिक्त पदेन सचिव होगें।

इस समिति से संबंधित समस्त कार्य/पत्राचार पत्रावली संधारण आदि का कार्य अन्य राजस्व अनुभाग एवं स्वास्थ्य अनुभाग द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया जायेगा। इस हेतु अन्य राजस्व अनुभाग एवं स्वास्थ्य अनुभाग के प्रभारी उत्तरदायी होगें। इसी अनुभाग में सेवारत डिलिंग क्लर्क प्रभारी के निर्देशानुसार बैठक के दौरान कार्यवाही विवरण का लेखन प्रभारी द्वारा किया जाकर कार्यवाही विवरण जारी किया जायेगा।

10. अग्निशमन रैनबसेरा एवं आपदा प्रबन्धन समिति :–

क्र.सं.	नाम पार्षद	वार्ड संख्या	समिति में पद
1.	श्री राजेन्द्र शर्मा (राजा)	17	अध्यक्ष
2.	श्री विनोद धवल	40	सदस्य
3.	श्री सुरेश कुमार बारियां	31	सदस्य
4.	श्री नरेश जोशी	07	सदस्य
5.	श्रीमती भवानी पारीक	09	सदस्य
6.	श्रीमती विमला देवी	55	सदस्य
7.	श्री जगदीश प्रसाद मोदी	52	सदस्य
8.	श्री शिवकुमार रंगा	20	सदस्य
9.	श्री शिव चंद पडिहार	21	सदस्य
10.	श्री नन्द किशोर गहलोत	23	सदस्य

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं स्वायत शासन विभाग के पत्र संख्या/प.9(ग)( )स.ग. /डीएलबी/15/537 दिनांक 29.09.2015 में उल्लेखित

(अ) यह समिति निम्न धाराओं में वर्णित शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों का पालन एवं कृत्यों का निर्वहन करेगी–

क्र.स.	धारा	संक्षिप्त विवरण	प्रभारी अधिकारी	संबंधित अनुभाग
1.	45 (1)(घ)	आग बुझाना और आग लगने पर जीवन तथा सम्पति की संरक्षा करना	अग्नि शमन अधिकारी / सहायक अग्नि शमन अधिकारी	अग्नि शमन, स्वास्थ्य, NULM, निर्माण एवं विकास
2.	46(IV)(क)	सूखा, बाढ़, भूकम्प या अन्य प्राकृतिक या प्रौद्योगिकी आपदाओं के समय आश्रयों की स्थापना और रख रखाव और नगरपलिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर निराश्रित व्यक्तियो के लिए राहत कार्य		
3.	46(IV)(ख)	अस्पतालो, औषधालयों, आश्रयों, उद्धार गृहों, प्रसुति गृहों और बाल कल्याण केन्द्रों का संनिर्माण या रख रखाव या उनकी सहायता के लिए प्रावधान		
4.	46(IV)(ग)	बेघरो के लिए आश्रयों का प्रावधान		
5.	255	अग्नि की रोकथाम के लिए व्यवस्था		
6.	256	अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रख–रखाव		
7.	257	आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्तिया		

उपरोक्त समिति के पदेन सचिव अग्नि शमन अधिकारी / सहायक अग्नि शमन अधिकारी होगें।

इस समिति से संबंधित समस्त कार्य / पत्राचार पत्रावली संधारण आदि का कार्य अग्नि शमन शाखा द्वारा निष्पादित किया जायेगा। इस हेतु अग्नि शमन अधिकारी / सहायक अग्निशमन अधिकारी उत्तरदायी होगें। बैठक के दौरान कार्यवाही विवरण का लेखन अग्नि शमन अधिकारी / सहायक अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया जाकर कार्यवाही विवरण जारी किया जायेगा।

11. अवज्ञा एवं अतिक्रमण समिति :–

क्र.सं.	नाम पार्षद	वार्ड संख्या	समिति में पद
1.	श्रीमती कृष्णा कंवर शेखावत	50	अध्यक्ष
2.	श्री राजेन्द्र शर्मा	60	सदस्य
3.	सुश्री दिव्या राजपुरोहित	44	सदस्य
4.	श्री गिरिराज जोशी	28	सदस्य
5.	श्रीमती डिम्पल व्यास	08	सदस्य
6.	श्रीमती मघी देवी	01	सदस्य
7.	श्री प्रेमरतन जोशी	12	सदस्य
8.	श्री सुरेश कुमार बारिया	31	सदस्य
9.	श्री अखिलेश प्रताप सिंह	38	सदस्य
10.	श्री शाहबुद्दीन	47	सदस्य

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं स्वायत शासन विभाग के पत्र संख्या / प.9(ग)( )स.ग. / डीएलबी / 15 / 537 दिनांक 29.09.2015 में उल्लेखित

(अ) यह समिति निम्न धाराओं में वर्णित शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों का पालन एवं कृत्यों का निर्वहन करेगी–

क्र.स.	धारा	संक्षिप्त विवरण	प्रभारी अधिकारी	संबंधित अनुभाग
1.	243	खतरनाक भवन	अनुभाग अधिकारी अतिक्रमण अनुभाग	अतिक्रमण, निर्माण एवं विकास
2.	244	पटरियों आदि को हटाना		
3.	245	सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा		
4.	286	सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा		
5.	287	स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम करने पर नगरपालिका किसी कार्य को निष्पादित कर सकेगी और उसका व्यय वसूल कर सकेगी।		

क्र.स.	धारा	संक्षिप्त विवरण	प्रभारी अधिकारी	संबंधित अनुभाग
6.	288	स्वामी द्वारा व्यतिक्रम किये जाने पर अधिभोगी संकर्म निष्पादित कर सकेगा और किराये में से व्यय काट सकेगा	अनुभाग अधिकारी अतिक्रमण अनुभाग	अतिक्रमण, निर्माण एवं विकास
7.	292	अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रवेश		
8.	293	निवारक परिक्षण		
9.	294	प्रवेश करने की शक्ति		
10.	298	नगरपालिका अभियोजित कर सकेगी		
11.	299	अपराधों के अभियोजना के संबंध मे शक्तियां – नगर पालिका		
12.	306	समझौता करने की शक्ति		

उपरोक्त समिति के पदेन सचिव प्रभारी अधिकारी अतिक्रमण होगें।

इस समिति से संबंधित समस्त कार्य/पत्राचार पत्रावली संधारण आदि का कार्य अतिक्रमण अनुभाग द्वारा निष्पादित किया जायेगा। इस हेतु अतिक्रमण अनुभाग के प्रभारी उत्तरदायी होगें। इसी अनुभाग में सेवारत डिलिंग क्लर्क प्रभारी के निर्देशानुसार बैठक के दौरान कार्यवाही विवरण का लेखन प्रभारी द्वारा किया जाकर कार्यवाही विवरण जारी किया जायेगा।

12. नगर विकास उद्यान एवं सौन्दर्यकरण समिति :–

क्र.सं.	नाम पार्षद	वार्ड संख्या	समिति में पद
1.	श्रीमती भावना गहलोत	51	अध्यक्ष
2.	श्रीमती नानू देवी	25	सदस्य
3.	श्रीमती डिम्पल व्यास	08	सदस्य
4.	श्री राजेन्द्र शर्मा	60	सदस्य
5.	श्रीमती खुर्शीदा बानो	53	सदस्य
6.	श्रीमती सरला देवी पडिहार	19	सदस्य
7.	श्री मोहम्मद ताहिर	34	सदस्य
8.	श्री भगवती प्रसाद गौड	39	सदस्य
9.	श्री राजेन्द्र पंवार	35	सदस्य
10.	श्रीमती भंवर कंवर राठौड़	57	सदस्य

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं स्वायत शासन विभाग के पत्र संख्या/प.9(ग)( )स.ग./डीएलबी/15/537 दिनांक 29.09.2015 में उल्लेखित

(अ) यह समिति निम्न धाराओं में वर्णित शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों का पालन एवं कृत्यों का निर्वहन करेगी–

क्र.स.	धारा	संक्षिप्त विवरण	प्रभारी अधिकारी	संबंधित अनुभाग
1.	45(1)(फ)	मानव बस्ती के लिए नये क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास के लिए व्यवस्था करना	अधिशाषी अभियंता	निर्माण एवं विकास, भूमि विक्रय
2.	45(1)(ब)	उद्यान एवं झरने स्थापित करके, मनोरंजन क्षेत्रों की व्यवस्था करके, नदी के किनारों को संवार कर और भू–दृश्य चित्रण द्वारा नगरीय क्षेत्र के सौन्दर्यकरण के लिए उपाय करना		
3.	156	नगर विकास योजना		
4.	160	योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया		
5.	161	योजना के प्रवर्तन की तारीख		
6.	162	योजना का पश्चात्वर्ती उपांतरण		
7.	163	योजना का क्रियान्वयन		
8.	164	इस अधिनियम के पूर्व तैयार की गयी योजनाएं इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी समझी जायेगी		
9.	165	योजना का पुनरीक्षण		
10.	166	विकास क्षेत्रों की घोषणा		

क्र.स.	धारा	संक्षिप्त विवरण	प्रभारी अधिकारी	संबंधित अनुभाग
11.	167	अप्राधिकृत विकास या योजना से असंगत उपयोग के लिए शास्ति	अधिशाषी अभियंता	निर्माण एवं विकास, भूमि विक्रय
12.	168	अप्राधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने का शक्ति		
13.	173	परियोजनाओं और स्कीमों का बनाया जाना और विषयवस्तु		
14.	174	परियोजनाओं और स्कीमों की तैयारी		
15.	175	पुनर्विकास स्कीम		
16.	176	परियोजना और स्कीम को अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत करना		

उपरोक्त समिति के पदेन सचिव अधीशाषी अभियंता होगें एवं सहायक नगर नियोजक समिति अतिरिक्त पदेन सचिव होगें।

इस समिति से संबंधित समस्त कार्य/पत्राचार पत्रावली संधारण आदि का कार्य निर्माण एवं विकास अनुभाग/भूमि विक्रय अनुभाग द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया जायेगा। इस हेतु निर्माण एवं विकास अनुभाग/भूमि विक्रय अनुभाग के प्रभारी उत्तरदायी होगें। इसी अनुभाग में सेवारत डिलिंग क्लर्क प्रभारी के निर्देशानुसार बैठक के दौरान कार्यवाही विवरण का लेखन प्रभारी द्वारा किया जाकर कार्यवाही विवरण जारी किया जायेगा।

13. जन कल्याण गौशाला एवं मेला उत्सव समिति :–

क्र.सं.	नाम पार्षद	वार्ड संख्या	समिति में पद
1.	श्री श्याम सुन्दर चाण्डक	04	अध्यक्ष
2.	सुश्री पूजा इणखिया	59	सदस्य
3.	श्री शिवचंद पडिहार	21	सदस्य
4.	श्री गिरिराज जोशी	28	सदस्य
5.	श्रीमती मंजू गोयल	29	सदस्य
6.	श्रीमती डिम्पल व्यास	08	सदस्य
7.	श्री सुरेश कुमार बारिया	31	सदस्य
8.	श्री जगदीश प्रसाद मोदी	52	सदस्य
9.	श्रीमती शांति चौधरी	06	सदस्य
10.	श्री हजारीमल	22	सदस्य

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं स्वायत शासन विभाग के पत्र संख्या/प.9(ग)( )स.ग. /डीएलबी/15/537 दिनांक 29.09.2015 में उल्लेखित

(अ) यह समिति निम्न धाराओं में वर्णित शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों का पालन एवं कृत्यों का निर्वहन करेगी–

क्र.स.	धारा	संक्षिप्त विवरण	प्रभारी अधिकारी	संबंधित अनुभाग
1.	45(1)(द)	जनसंख्या नियन्त्रण, परिवार कल्याण और छोटे परिवार के मानको को बढावा देना	अनुभाग अधिकारी NULM	NULM,अन्य राजस्व
2.	45(1)(ध)	आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना		
3.	46(III)	शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में		
4.	46(IV)	लोक कल्याण के क्षेत्र में		
5.	46(V)(ख)	मेलों और प्रदर्शनियों की व्यवस्था और प्रबंध करना		

उपरोक्त समिति के पदेन सचिव प्रभारी अधिकारी NULM तथा सहायक पदेन सचिव राजस्व अधिकारी (अन्य राजस्व) होगें।

इस समिति से संबंधित समस्त कार्य/पत्राचार पत्रावली संधारण आदि का कार्य प्रभारी अधिकारी NULM एवं अन्य राजस्व अनुभाग द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया जायेगा। इस हेतु प्रभारी अधिकारी NULM एवं अन्य राजस्व अनुभाग के प्रभारी उत्तरदायी होगें। इसी अनुभाग में सेवारत डिलिंग क्लर्क प्रभारी के निर्देशानुसार बैठक के दौरान कार्यवाही विवरण का लेखन प्रभारी द्वारा किया जाकर कार्यवाही विवरण जारी किया जायेगा।

14. सार्वजनिक रोशनी एवं प्रकाश व्यवस्था समिति :–

क्र.सं.	नाम पार्षद	वार्ड संख्या	समिति में पद
1.	श्री मोहम्मद ताहिर	34	अध्यक्ष
2.	सुश्री दिव्या राजपुरोहित	44	सदस्य
3.	श्री अखिलेश प्रताप सिंह	38	सदस्य
4.	श्रीमती खुर्शीदा बानो	53	सदस्य
5.	श्री राजेन्द्र पंवार	35	सदस्य
6.	श्रीमती मघी देवी	01	सदस्य
7.	श्री सोहन लाल	58	सदस्य
8.	श्रीमती कृष्णा कंवर शेखावत	50	सदस्य
9.	श्रीमती विमला देवी	55	सदस्य
10.	श्री मनोज कुमार नायक	41	सदस्य

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं स्वायत शासन विभाग के पत्र संख्या/प.9(ग)( )स.ग./डीएलबी/15/537 दिनांक 29.09.2015 में उल्लेखित

(अ) यह समिति निम्न धाराओं में वर्णित शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों का पालन एवं कृत्यों का निर्वहन करेगी–

क्र.स.	धारा	संक्षिप्त विवरण	प्रभारी अधिकारी	संबंधित अनुभाग
1.	45(1)(ग)	सार्वजनिक मार्गों, स्थानों और श्वनो मे रोशनी की व्यवस्था करना	अनुभाग अधिकारी स्ट्रीट लाईट अनुभाग	स्ट्रीट लाईट

उपरोक्त समिति के पदेन सचिव प्रभारी अधिकारी स्ट्रीट लाईट होगें।

इस समिति से संबंधित समस्त कार्य/पत्राचार पत्रावली संधारण आदि का कार्य प्रभारी अधिकारी स्ट्रीट लाईट द्वारा निष्पादित किया जायेगा। इस हेतु प्रभारी अधिकारी स्ट्रीट लाईट के प्रभारी उत्तरदायी होगें। इसी अनुभाग में सेवारत डिलिंग क्लर्क प्रभारी के निर्देशानुसार बैठक के दौरान कार्यवाही विवरण का लेखन प्रभारी द्वारा किया जाकर कार्यवाही विवरण जारी किया जायेगा।

15. सीवरेज ड्रेनेज निस्तारण समिति :–

क्र.सं.	नाम पार्षद	वार्ड संख्या	समिति में पद
1.	श्रीमती पूजा भटनागर	42	अध्यक्ष
2.	श्री दुलीचन्द शर्मा	16	सदस्य
3.	श्रीमती मघी देवी	01	सदस्य
4.	श्री शिवकुमार रंगा	20	सदस्य
5.	श्री सोहन लाल	58	सदस्य
6.	श्री लक्ष्मी नारायण	02	सदस्य
7.	श्रीमती भंवर कंवर राठौड	57	सदस्य
8.	श्री श्याम सुन्दर चाण्डक	04	सदस्य
9.	श्री सुरेश कुमार बारिया	31	सदस्य
10.	श्री यूनुस अली	54	सदस्य

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं स्वायत शासन विभाग के पत्र संख्या/प.9(ग)( )स.ग. /डीएलबी/15/537 दिनांक 29.09.2015 में उल्लेखित

(अ) यह समिति निम्न धाराओं में वर्णित शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों का पालन एवं कृत्यों का निर्वहन करेगी–

क्र.स.	धारा	संक्षिप्त विवरण	प्रभारी अधिकारी	संबंधित अनुभाग
1.	45(1)(क)	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध, जल–निकास और मल–वहन, सार्वजनिक मार्गों, स्थानों तका मलनालियों और ऐसे स्थानों, जो निजी संपत्ति नहीं हों और जो जनता क उपयोग के लिए खुले हों चाहे ऐसे स्थान नगर पालिका के निहित हों या नहीं, की सफाई, हानिपूर्ण वनस्पति का हटाना और सभी लोक न्यूसेंसों को समाप्त करना	स्वास्थ्य अधिकारी	स्वास्थ्य
2.	45(1)(ख)	गंदगी कूडाकरकट, विष्ठा, दुर्गन्ध या किसी भवन या भवनों मे या उनसे संबंधित शौचालयों, तहारतों, मूत्रालयों, मलकूपों या ऐसे पदार्थों को डालने के लिए अन्य सामान्य पात्रों से किसी अन्य हानिकारक या घृणोत्पादक पदार्थ को हटाना		
3.	45(1)(झ)	सार्वजनिक मार्गों, पुलियाओं , नगरपालिकसीमा चिन्हों, बाजारों, वधशालाओं, नालियों, मलनालियों, जल निकास संकर्मों, मलनाली संकर्मों, स्नानगारों, धोने के स्थानों, पेय–जलस्त्रोतों, तालाबों, कुंओं, बांधों और तत्समान अन्य संकर्मों का निर्माण करना, उनमें परिवर्तन करना तथा उनका अनुरक्षण करना		
4.	204	मल और वर्षा–जल की नालियों का पृथक–पृथक होना		
5.	205	अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार – नगरपालिका द्वारा कैसे और किन शर्तों पर प्राधिकृत किया जायेगा		
6.	206	संकर्म किस प्रकार किया जाना है		
7.	212	अप्राधिकृत रीति से निर्मित, पुनर्निर्मित या जारी रखी जाने वाली मल–नालियों के संबंध में शक्ति		

उपरोक्त समिति के पदेन सचिव स्वास्थ्य अधिकारी होगें।

इस समिति से संबंधित समस्त कार्य/पत्राचार पत्रावली संधारण आदि का कार्य स्वास्थ्य शाखा द्वारा निष्पादित किया जायेगा। इस हेतु स्वास्थ्य शाखा के प्रभारी उत्तरदायी होगें। इसी अनुभाग में सेवारत डिलिंग क्लर्क प्रभारी के निर्देशानुसार बैठक के दौरान कार्यवाही विवरण का लेखन प्रभारी द्वारा किया जाकर कार्यवाही विवरण जारी किया जायेगा।

16. सार्वजनिक परिवहन एवं पर्यावरण समिति :–

क्र.सं.	नाम पार्षद	वार्ड संख्या	समिति में पद
1.	श्री भगवती प्रसाद गौड	39	अध्यक्ष
2.	श्रीमती नीलम जांगीड	45	सदस्य
3.	श्रीमती विमला देवी	55	सदस्य
4.	श्री राजेन्द्र शर्मा (राजा)	17	सदस्य
5.	श्री नरेश जोशी	07	सदस्य
6.	श्री मोहम्मद ताहिर	34	सदस्य
7.	श्रीमती मघी देवी	01	सदस्य
8.	श्री जगदीश प्रसाद मोदी	52	सदस्य
9.	श्री शिवकुमार रंगा	20	सदस्य
10.	श्री मोहम्मद अनवर	27	सदस्य

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं स्वायत शासन विभाग के पत्र संख्या/प.9(ग)( )स.ग. /डीएलबी/15/537 दिनांक 29.09.2015 में उल्लेखित

(अ) यह समिति निम्न धाराओं में वर्णित शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों का पालन एवं कृत्यों का निर्वहन करेगी–

क्र.स.	धारा	संक्षिप्त विवरण	प्रभारी अधिकारी	संबंधित अनुभाग
1.	45(1)(ट)	मार्गों का नामकरण और घरों की संख्यांकन करना	अनुभाग अधिकारी अन्य राजस्व	अन्य राजस्व, निर्माण एवं विकास, उद्यान
2.	45(1)(न)	सड़कों, फुटपाथों, पैदल रास्तों, यात्रियों और माल, दोनों के लिए परिवहन टर्मिनलों, पुलों, ओवर–ब्रिजों, सब–वे, फेरिज के निर्माण और रख रखाव सहित संचार करना और आन्तरिक जल परिवहन प्रणाली स्थापित करना		
3.	45(1)(प)	यातायात अभियांत्रिकी योजनाओं मार्ग–फर्नीचर, पार्किंग क्षेत्रों और बस स्टॉप सहित परिवहन प्रणाली उपांग तैयार करना		
4.	45(1)(ब)	उद्यान एवं झरने स्थापित करके, मनोरजन क्षेत्रों की व्यवस्था करके नदी के किनारों को संवार कर और भू–दृश्य चित्रण द्वारा नगरीय क्षेत्र के सौन्दर्यकरण के लिए उपाय करना		
5.	46(i)(क)	बंजर भूमियो को उपजाऊ बनाना, सामाजिक वानिकी को प्रोन्नत करना और खुले स्थानों का रख रखाव करना		
6.	46(i)(ख)	पौधों, सब्जियों और वृक्षों के लिए पौधशालाओं की स्थापना और रख रखाव और जन सहभागिता के माध्यम से हरियाली की वृद्धि		
7.	46(i)(ग)	पुष्प–प्रदर्शनियों का आयोजन और नागरिक संस्कृति के रूप मे फूल उगाने को बढावा देना		
8.	46(i)(घ)	प्रदुषण के सभी स्वरूपों के निवारण के लिए उपायों को प्रोत्साहित करना।		
9.	190	फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध		
10.	191	मार्गों के कोने पर भवन		
11.	192	बहिर्गत भवनों को पीछे करना		
12.	197	मरम्मत आदि के दौरान होर्डिंग लगाना		
13.	252	कतिपय प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों के उपयोग का प्रतिषिद्ध करने की शक्ति		
14.	253	सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किंग का विनियमन		
15.	254	सार्वजनिक मैदानों पर यानों या जानवरों को ठहराना		
16.	268	धुएं को खपा देना		

उपरोक्त समिति के पदेन सचिव अधिशाषी अभियंता होगें। समिति के अतिरिक्त पदेन सचिव प्रभारी अधिकारी अन्य राजस्व एवं उद्यान अधीक्षक होंगे।

इस समिति से संबंधित समस्त कार्य/पत्राचार पत्रावली संधारण आदि का कार्य प्रभारी निर्माण एवं प्रभारी अन्य राजस्व अनुभाग एवं उद्यान अनुभाग द्वारा निष्पादित किया जायेगा। इस हेतु प्रभारी अधिकारी अन्य राजस्व अनुभाग एवं उद्यान अनुभाग के प्रभारी उत्तरदायी होगें। इसी अनुभाग में सेवारत डिलिंग क्लर्क प्रभारी के निर्देशानुसार बैठक के दौरान कार्यवाही विवरण का लेखन प्रभारी द्वारा किया जाकर कार्यवाही विवरण जारी किया जायेगा।

उक्त समितियां अपनी बैठके राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 58 (बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया) के प्रावधानानुसार आयोजित करेगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि धारा 55 (1) (3) (i से vi) के अधीन गठित समितियों एवं धारा 55 (3) (vii) के अधीन गठित अन्य समितियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों में श्कोई विरोधाभास उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में धारा 55 (1) (3) (i से vi) के अधीन गठित समितियों को प्रदत शक्तियां एव कर्तव्य अन्य समितियों की शक्तियों एवं कर्तव्यो पर प्रभावी (Dominant) होंगे।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)RAS
आयुक्त

क्रमांक / सामा / बोर्ड बैठक / 2015 / 37739–52 14 अक्टुबर, 2015

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् अर्जुनराम मेघवाल, माननीय सांसद, बीकानेर संसदीय क्षेत्र, बीकानेर।
2. श्रीमान् (डॉ.) गोपालकृष्ण जोशी, माननीय विधायक, बीकानेर (पश्चिम), विधानसभा क्षेत्र, बीकानेर।
3. सुश्री सिद्धि कुमारी, माननीया विधायक, बीकानेर (पूर्व) विधानसभा क्षेत्र, बीकानेर।
4. श्रीमान् महापौर महोदय, बीकानेर नगर निगम।
5. श्रीमान् संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
6. जिला कलक्टर, बीकानेर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
8. उप निदेशक (क्षे.), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर।
9. उपायुक्त (प्रशासन) / उपायुक्त (विकास), बीकानेर नगर निगम।
10. समस्त समिति अध्यक्ष / समस्त समिति सदस्य (पार्षद)
11. मुख्य लेखाधिकारी / उपविधि परामर्शी / अधीक्षण अभियंता / अधिशाषी अभियंता / स्वास्थ्य अधिकारी / सचिव / राजस्व अधिकारी प्रथम / राजस्व अधिकारी द्वितीय समस्त / अग्निशमन अधिकारी, बीकानेर नगर निगम।
12. कार्यालय अधीक्षक / प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय उतर–दक्षिण / उद्यान अधीक्षक / यंत्रालय अधीक्षक / भण्डार अधीक्षक, बीकानेर नगर निगम।
13. शाखा प्रभारी, सामान्य / लेखा / निर्माण / स्थापना प्रशासन / स्थापना स्वच्छता / स्वास्थ्य / राजस्व / अन्य राजस्व / NULM / रिकार्ड / स्टेशनरी / भण्डार / यंत्रालय / विधि / गृहकर / भूमि विक्रय (मुख्यालय / गंगाशहर) / ईजाजत तामीर / अतिक्रमण / जीवनांकन / हैल्प–लाईन, बीकानेर नगर निगम।
14. सुरक्षित पत्रावली।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)RAS
आयुक्त